

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 1115

/विकास कार्य/नि0सू0/2026-27

दिनांक 29/9 2026

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार कुल 08 विकास कार्यों को करने हेतु संलग्न तालिका में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 13-10-2026 को अपरान्ह 2-00 बजे तक uktenders.gov.in की वेबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई-निविदा को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14-10-2026 को अपरान्ह 03-00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mddaonline.in में दिया गया है। यदि उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संशोधन आदि किए जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।



अधिशाली अभियंता,
म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 1115

/विकास कार्य/नि0सू0/2026-27

दिनांक 29/9/2026

ई-निविदा सूचना

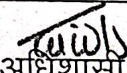
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार कुल 08 विकास कार्य को करने हेतु संलग्न तालिका में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 13-10-2026 को अपरान्ह 2-00 बजे तक uktenders.gov.in की वेबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई-निविदा को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14-10-2026 को अपरान्ह 03-00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी तथा अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेख के साथ उक्त वेबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 14-10-2026 को अपरान्ह 2-00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र जी0पी0डब्ल्यू0-09 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफारमेंस सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या-1197/II (2)/07-75 (सामान्य)/ II दिनांक 24-02-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि (रू0)	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा की वैधता (दिन)
1	वार्ड नम्बर-74 ब्रह्मपुरी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य (टू-बिड के आधार पर)	437.00	8,74,00	5900	12	90
2	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत कारगी पटेलनगर बाईपास रोड से पामसिटी में आन्तरिक डामरीकरण से सड़क निर्माण कार्य (टू-बिड के आधार पर)	122.97	2,46,000	4720	03	90
3	धर्मपुर विधानसभा	29.07	58,150	2360	03	90

बता

	क्षेत्रान्तर्गत वार्ड-82 दीपनगर में विभिन्न स्थानों पर नाली, पुलिया एवं स्लैब का कार्य					
4	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड-84 बंजारा वाला के मोनाल एन्कलेव के आन्तरित मार्गों का निर्माण	20.34	40,680	2360	02	90
5	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड-84 बंजारा वाला के मोनाल एन्कलेव से राजेन्द्र विहार तक बने पुश्ते पर जाल लगाने का कार्य	12.29	24,580	1770	02	90
6	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड-84 बंजारावाला के बीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग पर बीर चन्द्र सिंह गढवाली मुख्यद्वार का निर्माण	19.07	38,140	1770	02	90
7	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड-84 बंजारावाला के मोनाल एन्कलेव में मुख्यद्वार का निर्माण कार्य	15.25	30,500	1770	02	90
8-	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आराधर, बलबीर रोड से तेग बहादुर वाली रोड का निर्माण कार्य	23.50	47,000	2360	02	90


 अधिशासी अभियंता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून ।

अन्य नियम एवं शर्तें :-

- 1-जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हों, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
- 2-एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किए जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार/फर्म आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
- 3-किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4- uktenders.gov.in एवं mdaonline.in की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्रों पर विज्ञापित जारी होने के पश्चात् प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होती है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगी।

5- निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं :-

(ए) निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में no dues के सम्बन्ध में, 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(बी) प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में गलत सूचना दिए जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

6- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-770/iii(2)1720 (सामान्य)2011 टी0सी0 दिनांक 12-6-2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

7- प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

8- ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाइट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाईयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

9- कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

10- कमांक-में वर्णित कार्य में टू-बिड के आधार पर इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मों/ठेकेदार जिनके पास आवश्यक अनुभव/दस्तावेज हों, उन्हीं के द्वारा ही निविदा में भाग लिया जायेगा।

11- शासनादेश संख्या-306433/2025/(09)/02 अधिप्राप्ति/2024 ई पत्रावली संख्या-76643 दिनांक

13-6-2025 के क्रम में फर्म द्वारा ई-निविदा हेतु जमा कराए गए अभिलेखों में प्रत्येक पार्टनर/प्रोपराईटर्स का मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है एवं इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रत्येक टेण्डर के साथ अपनी फर्म का इनिलिस्टमेंट प्रमाण पत्र भी जमा कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, म0दे0वि0प्रा0

2- वित्त नियंत्रक, म0दे0वि0प्रा0

3- मुख्य अभियंता, म0दे0वि0प्रा0

4- अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0

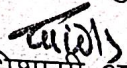
5- नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु

6- नाजिर, म0दे0वि0प्रा0 को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7- आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8- प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु

9- सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु


अधिशासी अभियंता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।